न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–399/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00371)

1. जगदीश सिंह पुत्र श्री लक्ष्मणराम, आयु 60 वर्ष, जाति हिन्दू, निवासी ग्राम जसरासर, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर, राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 06.01.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के आदेश दिनांक 11.10.2018 से असंतुष्ट होकर शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 18 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र बाबत अपने शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करवाने हेतु दिनांक 09.05.18 को प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र में शस्त्र अनुज्ञा पत्र क्रमांक 54/2001 एबेन्सी ऑफ इण्डिया थिम्पू (भूटान)(1150/विविध/सीकर) के अपीलान्ट धारक है एवं इस अनुज्ञा पत्र में एक 12 बोर गन एस.बी.बी.एल. नम्बर बी.ई. 727–2000 का अंकन किया हुआ है तथा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र विपक्षी कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकरण किया गया था। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के यहॉ पर अपने उक्त वर्णित शस्त्र लाईसेन्स पत्र को नवीनीकरण करवाने हेतु प्रस्तुत किया जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र वर्ष 2001 को जारी हुआ है एवं तब से अपीलार्थी नियमानुसार समय–समय पर अपने उक्त अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण कराते आ रहा है जिसमें इतनी लम्बी अवधि में कभी भी कोई चूक नही हुई एवं ना ही किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही हुई यहॉ तक कि उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का किसी भी प्रकार का कोई दुरूपयोग अपीलार्थी के द्वारा नही किया गया है जिन समस्त तथ्यों से भी अधीनस्थ न्यायालय को अवगत करवा दिया था तथा अपीलार्थी ने दिनांक 09.05.2018 को शपथ पत्र पेश किया था जिसमें अपीलान्ट ने स्पष्ट रूप से इस बात का अंकन किया था कि भूलवश एवं याद नही रहने की वजह से अपीलार्थी अपने उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का समय पर नवीनीकरण नही करवा पाया इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त युक्तियुक्त एवं सद्भावी कारण को पुरी तरह से नजर अन्दाज कर बिना किसी आधार के अनुज्ञा पत्र खारिज फरमाकर गंभीर कानूनी भूल की है जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी ने भारतीय सेना में अपनी सेवायें भारत एवं विदेशों में नियमित रूप से प्रदान की है एवं पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ अपने पद पर बने रहकर अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन किया है एवं अन्त में अपीलार्थी नायब सूबेदार के पद से सेवानिवृत्त हुऐ है जो कि सदैव ही कानून की पालना करने वाला एक जिम्मेवार व्यक्ति है जिस बाबत भी अधीनस्थ न्यायालय को अवगत कराया गया था परन्तु इन समस्त तथ्यों को पूरी तरह से दरकिनार कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि आयुध अधिनियम 1959 संशोधित नियम 2010 एवं 2012 में शस्त्र अनुज्ञा पत्र को निरस्त फरमाये जाने में जिन शर्तो का मुख्य रूप से हवाला दिया गया है उनमें भी ऐसी कोई शर्त का उल्लेख नही किया गया जो कि समय से सम्बन्धित हो एवं लिहाजा भी अपीलार्थी ने इस बाबत अपने युक्तियुक्त कारण रेस्पोडेन्ट के यहॉ पर दर्शित कर दिये थे एवं इस बाबत अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया गया था इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय ने अयुध अधिनियम की शर्तो के प्रतिकूल जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका है एवं अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निवर्हन करता रहा है एवं कानून मे पूर्ण आस्था है इसके चलते ही अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2018 के पश्चात् उसकी पालना करते हुए उक्त दिनांक को ही अपना शस्त्र एवं मूल अनुज्ञा पत्र पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के यहॉ पर जमा करवा दिया है एवं इस बाबत रसीद भी पुलिस थाना से प्राप्त कर ली गई जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी ने शुरू से ही अपनी जिम्मेवारियें को निवर्हन किया है जिस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायलय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर प्रत्यर्थी के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2018 को निरस्त करने की कृपा करें एवं अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधिवक्ता अपीलान्ट का दौराने बहस कथन रहा है कि आयुध अधिनियम 1959 संशोधित नियम 2010 एवं 2012 में आर्म्स लाईसेन्स को निरस्त करने बाबत समय से सम्बन्धित कोई शर्त का उल्लेख नही किया गया है तथा पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2018 पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर भी नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

संभागीय आयुक्त
उदयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जताी है तथा अधीनस्थ जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.10.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ जिल मजिस्ट्रेट, सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किय जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दते हुए प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।